न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 99/2014

| प्रार्थीः– | बनाम | अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| 1 सुजाराम पुत्र रताराम | | 1 ग्राम पंचायत धनला जरिये सरपंच |
| 2 जगदीश पुत्र सुजाराम जातिगण सिरवी निवासीगण धनला | | 2 कन्हैयालाल पुत्र जेपाराम सिरवी<br>3 जेपाराम पुत्र रताराम जाति सिरवी निवासी धनला पूर्व सरपंच<br>4 उप पंजीयक मा0जं0 |

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री शंकरलाल गहलोत, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण

–: निर्णय :–

दिनांक 27.11.2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत धनला द्वारा मिसल संख्या 46/2004–2005 में पारित प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 20.12.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 1846 दिनांक 20.12.2004 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 सगे भाई है। अप्रार्थी संख्या 3 जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत धनला का सरपंच था तथा अपने सरपंच के कार्यकाल में उसके द्वारा अपने पुत्र के नाम से जैर निगरानी पट्टा जारी किया। जबकि जैर निगरानी पट्टे की भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 की पैतृक सम्पति है, जिसे आरा का प्लाट के नाम से जाना जाता है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 2 एवं भीकाराम के मध्य हुए अपासी बंटवाडे में भी उक्त भूमि को पैतृक होना स्वीकार किया है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि में न तो आवेदन पत्र है तथा न ही पंचायत की पत्रावली में किन्ही कागजात का ब्योरा है। प्रथम एवं द्वितीय आदेशिका दिनांक 20.11.2004 एवं तृतीय आदेशिका दिनांक 20.12.2004 को अंकित कर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। पट्टे में दायर दिनांक 16.10.2004 है, जबकि पत्रावली में दायर दिनांक 20.12.2004 एवं फैसल दिनांक भी 20.12.2004 अंकित है। पट्टे में संकल्प संख्या 4 दिनांक 20.12.04 अंकित है, जबकि आदेशिका में प्रस्ताव संख्या 6 अंकित किया है। राजस्थान पंचायत नियम 1996 के नियम 140 से 160 में वर्णित आज्ञापक प्रावधानों की हस्तगत प्रकरण में किसी भी रूप में पालना नही की गई है। प्रकरण में 20.11.2004 की प्रथम आदेशिका है तथा दिनांक 20.12.2004 को एक माह की अवधि में सम्पूर्ण कार्यवाही बताई जा कर पट्टा जारी करने की आदेशिका लिखी गई है। सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही माह में पूर्ण की जा कर जैर निगरानी पट्टा सरपंच द्वारा अपने पुत्र के नाम से जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना

अति० जिला कलेक्टर, पाली

में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा अपास्त करावे। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 229, आर0एल0आर0 2004 (1) पेज 237, आर0एल0आर0 2000 (1) पेज 478, आर0आर0टी0 2003 (1) पेज 136, आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 1265, डी0एन0जे0 (राज.) 1995 पेज 458, डी0एन0जे0 (राज.) 2017 (2) पेज 730 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों की प्रतियां प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत नियमों की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का पुराना कब्जा होने के कारण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए नियम 157 (ख) के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि पैतृक सम्पति नही है। यह सम्पति जीवा वल्द गमना की पट्टासुदा थी, जिसे अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा क्रय किया गया था। उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा है तथा विद्युत कनेक्शन आदि है। प्रार्थी द्वारा जिस बंटवाडे का जिक्र किया गया है, उसे स्वयं प्रार्थी ने नही माना। यह भूमि कतई पैतृक नही है। ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही है। अतः निगरानी खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत धनला द्वारा मिसल संख्या 46/2004–2005 में पारित प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 20.12.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 1846 दिनांक 20.12.2004 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी आज्ञा की मिसल का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार का आवेदन ही पेश नही किया। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नही किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। हस्तगत प्रकरण में न तो आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा न ही राशि जमा करवाई गई। ग्राम पंचायत द्वारा बिना आवेदन ही मिसल कायम कर कार्यवाही आरम्भ कर दी, जो नियम 145 का स्पष्ट उल्लंघन है। मौका निरीक्षण हेतु किन वार्ड पंचों को मनोनीत किया गया, उनका न तो प्रस्ताव रजिस्टर में अंकन है तथा न ही मिसल की कार्यवाही में अंकन है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण प्रतिवेदन पर तीन वार्ड पंचों के हस्ताक्षर भी अंकित नही है। इसके पश्चात इसी दिनांक 20.11.2004 को द्वितीय आदेशिका लिखी जाकर 148 के तहत आपत्ति पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात दिनांक 20.12.2004 को पट्टा जारी करने की प्रक्रिया पूर्ण होना अंकित करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पट्टा जारी किया गया है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते है।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) में यह प्रावधित किया गया है कि इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकता है, हस्तगत प्रकरण कि मिसल अथवा बैठक कार्यवाही में कहीं पर भी यह अंकित नही है कि मौके पर 50 वर्षो के दौरान बना हुआ मकान स्थित हो। इस प्रकार प्रकरण नियम 257 में कवर होने योग्य ही नही था।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी का मुख्य आधार यह लिया गया है कि उक्त भूमि पुश्तैनी थी, जबकि अप्रार्थी द्वारा यह कथन किया कि उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जीवा पुत्र गमना से क्रय किया गया था तथा यह भूमि जीवा की पट्टासुदा थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी की पुश्तैनी नही थी। इस कारण हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी हितबद्ध नही पाया जाता है, किन्तु जैसा की उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट हो चुका है कि इसी भूमि पर पूर्व में पट्टा जीवा पुत्र गमना के नाम जारी हो चुका था, जिसे अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है तथा इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए विधि में प्रदत्त प्रक्रिया को पूर्णतः दरकिनार कर पूर्व में जारी पट्टे की भूमि को सम्मिलित करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में नया पट्टा जारी किया गया है, जिसे उचित नही माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वयं सरपंच द्वारा अपने पुत्र के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 47 का उल्लंघन है। अतः जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित नही है।

उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रार्थी हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध नही है, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, उस भूमि का पूर्व में पट्टा जीवा वल्द गमना के नाम जारी हो चुका था तथा विधि अनुसार पट्टासुदा भूमि पर दुबारा पट्टा जारी नही किया जा सकता है। अतः जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि विरूद्ध होने के कारण निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत धनला द्वारा मिसल संख्या 46/2004–2005 में पारित प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 20.12.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 1846 दिनांक 20.12.2004 को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत धनला का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27.11.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली